20.6.18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार 2018 में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत एड़ सिणधरी में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा पत्रावली सलंग्न है। विप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जानें के उपरांत भी हाजिर नहीं होनें पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थीगण की आवेदन पत्र पर अंतिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया,पत्रावली एवं सलंग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं हुए है। इससे प्रतीत होता है। कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपर्ति नहीं है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किये जानें योग्य है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र एड सिणधरी)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 30/2018

प्रार्थी	विप्रार्थी
1.मानाराम पुत्र धर्माराम 2. डालूराम पुत्र धर्माराम 3. किरताराम पुत्र धर्माराम 4. ठाकराराम पुत्र धर्माराम 5. पूरोदेवी पत्नी धर्माराम 6. मानाराम पुत्र कुम्भाराम 7. अर्जूनराम पुत्र कुम्भाराम 8. ताजाराम पुत्र कुम्भाराम 9. खेमाराम पुत्र कुम्भाराम 10. तेजाराम पुत्र कुम्भाराम 11. गेरोदेवी पत्नी कुम्भाराम 12. पाबुराम पुत्र रायमलराम 13. देवाराम पुत्र रायमलराम 14. हडमानराम पुत्र रायमलराम 15. राणाराम पुत्र भारमलराम 16. रामाराम पुत्र भारमलराम 17. नथाराम पुत्र मोतीराम 18. पदमाराम पुत्र मोतीराम 19. थानाराम पुत्र मोतीराम 20. वगताराम पुत्र मोतीराम 21. दोलीदेवी पत्नी अमराराम 22. भैराराम पुत्र पूनमाराम 23. पदमाराम पुत्र पूनमाराम 24. भंवराराम पुत्र सताराम 25. हरदानराम पुत्र सताराम 26. हीराराम पुत्र सताराम 27. केसीदेवी पत्नी सताराम जाति जाट निवासी विष्णु मंदिर का वास एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर	1.उगराराम पुत्र वागाराम 2.दमाराम पुत्र वागाराम 3.तेजाराम पुत्र वागाराम 4.बींजाराम पुत्र वागाराम 5.पुराराम पुत्र रामकिशन 6.मगाराम पुत्र रामकिशन 7.नानगाराम पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी विष्णु मंदिर का वास एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 8.ईशराराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी बेरीवाला तला तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 9.हनुमानराम पुत्र रतनाराम जाति जाट 10.जालाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी विष्णु मंदिर का वास एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 11.खेतसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत 12.पुरसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी डाबड भाटियान 13.राजकंवर पत्नी दीपसिंह जाति राजपूत निवासी मीठडा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 14.गुलाबसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत 15.सोनसिंह पुत्र दौलसिंह जाति राजपूत 16.नारायणसिंह पुत्र दोलतसिंह जाति राजपूत 17.उदा कंवर पत्नी दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी डाबड भाटियान तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

आदेश

दिनांक–20.6.18

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम विष्णु मंदिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 78 व 78/6 कुल रकबा 184 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम विष्णु मंदिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 78 व 78/6 कुल रकबा 184 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस करवाई गई। विप्रार्थीगण को जारी रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्राथीगण की खातेदारी भूमि ग्राम विष्णु मंदिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 78 व 78/6 कुल रकबा 184 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आयें दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम विष्णु मंदिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

...त खसरा संख्या 78 व 78/6 कुल रकबा 184 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम विष्णु मंदिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 78 व 78/6 कुल रकबा 184 बीघा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदारान है,जो पत्रावली के संलंग्न विवादित भूमि संवत 2073 से 2076 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम विष्णु मंदिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 78 व 78/6 कुल रकबा 184 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही तहसीलदार सिणधरी करावें। प्रार्थी नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क वहन करेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/ प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20/6/18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner